"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017—— श्रावण 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 (श्रावण 11, 1939)

क्रमांक-8076/वि. स./विधान/2017 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) जो बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 132 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 132 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (च) में, कोलन चिन्ह ":" के स्थान पर, अर्धविराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(छ) कर, जिसे मनोरंजन कर कहा जाता है, जो दूरदर्शन से भिन्न केबल टीवी तथा डायरेक्ट टू होम (डी2एच) टेलीविजन सेवा प्रदाताओं द्वारा देय हो;

(ज) विज्ञापन सेवा प्रदाताओं द्वारा आऊटडोर विज्ञापनों पर जिसमें होर्डिंग शामिल है, पर देय उपकर.

स्पष्टीकरण :- समाचार पत्रों में प्रकाशित अथवा टेलीविजन पर प्रदर्शित विज्ञापन सम्मिलित नहीं होंगे."

(ख) उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5-क) उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन कर का रोपण ऐसे दरों तथा ऐसी रीति में किया जायेगा जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाये :

परंतु यह कि राज्य शासन ऐसी शर्तों एवं ऐसी कालावधि हेतु, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अन्य विभाग या एजेंसी को निगम की ओर से उक्त खण्ड के अधीन कर संग्रहण हेतु अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

(5-ख) उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन कर के संबंध में आयुक्त के किसी भी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य शासन के समक्ष ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि इस संबंध में नियमों द्वारा विहित किया जाये, अपील कर सकेगा."

(ग) उप-धारा (6) में खण्ड (ठ) तथा (ड) का लोप किया जाये.

3. मूल अधिनियम की धारा 292-ख में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 292-ख का संशोधन.

"(क) नगरपालिक क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, कुल क्षेत्र में से पंद्रह प्रतिशत भूमि, आयुक्त को अन्तरित किया जायेगा अथवा निर्मित आवास गृह, पात्र हितग्रहियों को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति में अंतरित किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु यह कि ऐसे आवास गृहों का आकार, अवस्थिति एवं संख्या एवं अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(ख) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) लागू था, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा भूमि का आयुक्त को अंतरित किया जायेगा अथवा निर्मित आवास गृह, पात्र हितग्राहियों को ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर अंतरित किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, माल और सेवा कर जीएसटी के पश्चात् नगरपालिक निकायों के राजस्व के आधार को संरक्षित करने के लिए, यह आवश्यक हो गया है कि इन्हें नगरपालिका शासन के अन्तर्गत प्रत्यक्ष तौर पर लाते हुए, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर के संग्रहण को पुन:संरचित किया जाये तथा संबंधित विषयों में अपील करने हेतु उपबंध किया जाये;

और यत:, सबके लिए आवास संबंधी शासन के उद्देश्य को साकार करने हेतु, यह आवश्यक है कि कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पंद्रह प्रतिशत भूमि के वर्तमान प्रावधान को युक्तियुक्त किया जाये, ताकि भवन निर्माता, गरीबों के लिए अधिक आवास निर्माण करने की ओर आकर्षित हो;

अतएव, उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) में संशोधन करना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 28 जुलाई, 2017

अमर अग्रवाल
नगरीय प्रशासन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 वर्ष 1956) की धारा 132 एवं 292-ख का सुसंगत उद्धरण

धारा 132 की उप-धारा (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निगम किसी साधारण या विशेष आदेश जो राज्य सरकार इस निमित्त करे, अध्यधीन रहते हुए संपूर्ण नगर पालिक क्षेत्र में या उसके किसी भाग में, निम्नलिखित कर अधिरोपित करेगा, अर्थात् :- खण्ड (च) नगर पालिक क्षेत्र के भीतर उपयोग/उपयोग या विक्रय के लिये प्रवेश किये गये ऐसे माल पर, जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाये, उसके (माल के) मूल्य के चार प्रतिशत से अनधिक दर पर स्थानीय निकाय कर :

अंत:स्थापन

धारा 132 की उप-धारा (5) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ड.) के अधीन कर, समेकित दर पर निम्नानुसार उद्ग्रहीत किया जायेगा :-

(क) उन भवनों तथा भूमियों पर जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, ऐसी दर पर जो निगम द्वारा अवधारित किया जाये,

(ख) उन भवनों तथा भूमियों पर जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं है, खण्ड (क) के अधीन विहित दर पर संपत्ति कर के ऐसे प्रतिशत पर जो निगम द्वारा इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अवधारित किया जाए कि ऐसा प्रतिशत संपत्तिकर की रकम से दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

विलोपन

धारा 132 की उप-धारा (6) का खण्ड (ठ) समाचार पत्रों में प्रकाशित के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर,

(ड) नाट्य शालाओं, रंगमंचीय अभिनयों तथा सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के हेतु किये जाने वाले अन्य खेल तमाशों पर कर,

प्रतिस्थापन

धारा 292-ख की उप-धारा (1) का खण्ड (क) नगर पालिक क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता द्वारा कुल क्षेत्र का पंद्रह प्रतिशत भू-भाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आयुक्त को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति में अंतरित किया जायेगा जैसा की विहित किया जाये;

(ख) ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू था, कालोनी निर्माता को खण्ड (क) के अधीन यथा अपेक्षित भू-भाग आयुक्त को अंतरित करना होगा;

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.